DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA

OFFICIAL LANGUAGE POLICY

Dr.HarisinghGourVishwavidyalaya,
Sagar (M.P.)
(A Central University)

Minutes of 31st Meeting of Academic Program Committee (APC)

1:31:(16): With the permission of the Chair, Prof. H. Thomas, Director, Research and Development (DoRD) presented the following policy documents for consideration by APC:-

1. Policy on Internal Complaints Committee.
2. Policy on Environment and Sustainable Development.
3. Policy on Academic Audit.
4. Policy on Advance Learners and Slow Learners.
5. Innovations & Start-Up Policy (GISP)
6. University IT Policy.
7. Policy for Maintaining and Utilization Physical, Academic and Support Facilities.
8. Library Policy.
9. Scholarship Policy.
10. HR Policy.
11. E-Governance Policy.
12. Group Health Insurance Policy.
13. In-Campus House/Flat Allotment Policy.
14. TA & DA Policy.
15. Non-Teaching Staff Appraisal Policy.
16. Finance Policy.
17. Code of Conduct and Ethics Policy.
18. NCC Policy.
19. NSS Policy.
20. Health Care Facilities and Sanitation Policy.
21. Outreach Program Policy.
22. Student Cultural Policy.
23. Water Conservation Policy.
24. NEP-2020 Implementation Policy.
25. Sports Policy.
26. Anti Ragging Policy.
27. Rajbhasha Policy.
28. Credit Bank Transfer Policy.
29. Examination Policy.
30. Training and Placement Policy.

Resolution:- The APC after due deliberations resolved to approve the aforesaid policies.

(Action:DoAA, DoRD, CoF, FO, All the Deans of Schools & HoDs)

The Meeting ended with vote of thanks to the Chair.

Satish Kumar
Deputy Registrar
Academic Affairs &
Secretary, APC

संचालक (अनु. एवं विकास)
Director (R & D)
डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर
Dr.H.S.Gour Central University, Sagar

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

राजभाषा नीति

(Official Language Policy)

-: राजभाषा प्रकोष्ठ :-

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(अनु. एवं विकास)
D)
विश्वविद्यालय, सागर
Dr.H.S.Gour Sagar

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

राजभाषा नीति

(Official Language Policy)

–: राजभाषा प्रकोष्ठ :–

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

प्रारूप

विश्वविद्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन नीति- 2023

राजभाषा स्वरूप –

राजभाषा सरकारी काम-काज की भाषा के रूप मे मान्य एवं स्वीकृत भाषा है। 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भारत सरकार के कार्यालय, स्वामित्व, नियंत्रण, अधीन, उपक्रम संस्थाओं में राजभाषा के समुचित कार्यान्वयन की रूप रेखा भारत सरकार द्वारा तैयार एवं प्रसारित की जाती है। इस संदर्भ में राजभाषा से संबंधित सर्वोच्च समिति केंद्रीय हिंदी समिति होती है। इस समिति की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति –

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रभावी एवं कारगर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन ज्ञापन सं.– 4/41/70-रा.भा.एकक, दिनांक – 12.10.1970 की अधिसूचना द्वारा भारत सरकार के संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भी राजभाषा कार्यान्वयन के गठन को सुनिश्चित किया गया।

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय (केंद्रीय विश्वविद्यालय) में विश्वविद्यालय स्तरीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के पदेन अध्यक्ष विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति होते हैं। विश्वविद्यालय भारत सरकार की राजभाषा नीति-निर्देशों के समुचित अनुपालन के लिए सर्वथा कृत संकल्प है। इस अनुक्रम में 'राजभाषा प्रकोष्ठ' भी विश्वविद्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति सचेत है। प्रकोष्ठ द्वारा विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा, लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन का द्विभाषी प्रकाशन, संस्थान में प्रयुक्त नाम-सूचना पट्ट का द्विभाषी प्रदर्शन, कार्यशालाओं का आयोजन, कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ-साथ राजभाषा प्रकोष्ठ समय-समय पर राजभाषा विभाग, गृह-मंत्रालय, भारत सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय के राजभाषा संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उपक्रम हेतु प्रतिबद्ध है।

हमारा लक्ष्य –

राजभाषा कार्यान्वयन हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष 'वार्षिक कार्यक्रम' जारी करता है। उक्त कार्यक्रम के दिशानिर्देशानुसार हमारा मिशन विश्वविद्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना है -

1. विश्वविद्यालय के समस्त संस्थानों अध्ययनशालाओं/विभागों/अनुभागों कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीति के मूलाधार – □ ग्रह, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन के माध्यम से राजभाषा हिंदी के प्रागामी प्रयोग को निरंतर बढ़ावा देना।
2. विश्वविद्यालय की समस्त अध्ययनशालाओं/विभागों/अनुभागों कार्यालयों को राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए □ वश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन देना।
3. विश्वविद्यालय में संघ की राजभाषा नीति, कार्यक्रमों तथा संबंधित गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करके हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के प्रति जागरुकता उत्पन्न करना।
4. विश्वविद्यालय में संघ की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की स्थिति की निगरानी करना और उसकी समीक्षा करना।
5. राजभाषा हिंदी से संबंधित अधिनियम/ नियम/ □ देश/ अनुदेश के समुचित अनुपालन के उद्देश्य से कार्यप्रणाली में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करना।
6. पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राजभाषा हिंदी के प्रयोग हेतु उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना।

हमारी दृष्टि –

राजभाषा हिंदी के प्रयोग के क्षेत्र में विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता केंद्र के रुप में स्थापित करना जिससे यह अपनी विश्वव्यापी प्रतिष्ठा के अनुरुप अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के लिए □ दर्श व अनुकरणीय बन सके।

राजभाषा प्रकोष्ठ के अधिकारी एवं कर्मचारीगण –

विश्वविद्यालय में राजभाषा नीति कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘राजभाषा प्रकोष्ठ’ की स्थापना की गई। राजभाषा प्रकोष्ठ हेतु निम्नलिखित ‘न्यूनतम हिन्दी पद’ स्वीकृत हैं –

क्र.	**पदनाम**	**स्वीकृत पद**	**अधिकारी/कर्मचारी का नाम**
1.	हिन्दी अधिकारी	01	श्री संतोष सोहगौरा (प्रभारी)
2.	हिन्दी अनुवादक	01	श्री अभिषेक सक्सेना
3.	हिन्दी टंकक	01	श्री विनोद रजक

राजभाषा प्रकोष्ठ के प्रमुख कार्य –

- संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन।
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक □ योजित करना, कार्यवृत्त तैयार करना और इसे विश्वविद्यालय में परिचालित करना।

- हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट समेकित करना एवं इसे राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को प्रेषित करना।
- हिंदी कार्यशाला का आयोजन।
- हिंदी पत्रिका 'भाषा भारती' का प्रकाशन।
- विश्वविद्यालय में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु अपेक्षित परिपत्र जारी करना।
- विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं/विभागों/कार्यालयों/अनुभागों/प्रभागों से प्राप्त हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा करना तथा तत्संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना।
- शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त आदेशों/अनुदेशों का अनुपालन करना एवं पत्रादि का प्रत्युत्तर देना।
- अधिकारियों/ कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान से संबंधित रोस्टर तैयार करना।
- आवश्यकतानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना
- हिंदी दिवस/सप्ताह/ पखवाड़ा का आयोजन तथा इसके दौरान विभिन्न कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं का आयोजन।
- हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को पुरस्कृत करना तथा 'राजभाषा पदक' प्रदान करना।
- विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं/विभागों/कार्यालयों/अनुभागों/प्रभागों का राजभाषा संबंधी निरीक्षण।
- हिंदी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों/अनुदेशों/दिशानिर्देशों इत्यादि से विश्वविद्यालय के अधिकारियों/ कर्मचारियों को अवगत कराना।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार संघ के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों के में भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु दिशानिर्देश जारी करता है। ये दिशानिर्देश प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम के रूप में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है। वर्ष 2022-23 हेतु राजभाषा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम संलग्न है। (संलग्नक – उपरोक्तानुसार)

×××

फा. सं. 13035-6/2021 रा. भा. ए

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राजभाषा प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 12 अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय का वार्षिक कार्यक्रम-2023-24 (Annual Programme-2023-24 for transacting the Official work of the Union in Hindi).

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए जारी किया गया वार्षिक कार्यक्रम- 2023-24 की एक प्रति अनुपालनार्थ संलग्न है।

2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निदेशों का अनुपालन करने के साथ-साथ वार्षिक कार्यक्रम 2023-24 में निर्धारित मदवार लक्ष्यों को आपके क्षेत्राधिकार में आने वाले कार्यालयों/प्रभागों/अनुभागों/एककों में प्राप्त करने के लिए एक निश्चित कार्य-योजना (Action Plan) बनाकर उसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

3. उल्लेखनीय है कि वार्षिक कार्यक्रम- 2023-24 को राजभाषा विभाग की वेबसाइट (https://rajbhasha.gov.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

4. संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु किसी भी आवश्यकता के लिए मुझसे संपर्क करने में कृपया संकोच न करें।

संलग्न: यथोक्त।

(जगदीश राम पौरी)

संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष: 011-23380429

jr.pauri@nic.in

सेवा में,

1. शिक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ /कार्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों/परिषदों/समितियों/संगठनों/न्यास/आयोगों/बोर्डों/स्वायत्त निकायों आदि के प्रमुख।
2. उच्चतर शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के सभी ब्यूरो/प्रभाग/अनुभाग/एकक आदि।
3. एनआईसी प्रकोष्ठ को इस अनुरोध के साथ कि इसे शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट तथा ई-ऑफिस पर अपलोड किया जाए।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुरशाह जफर मार्ग नई दिल्ली–110 002
Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002
Phone : 011-23604448, 011-23604218

सत्यमेव जयते

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

मि0 सं0 4–1/2018 (राजभाषा) 3 मई, 2023

कार्यालय आदेश

विषयः संघ का राजकीय कार्य हिन्दी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम 2023–24 :

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा संघ का राजकीय कार्य हिन्दी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम 2023–24 जारी किया जा चुका है, जिसमें सरकारी प्रयोजनों के लिए कार्य की विभिन्न मदों को राजभाषा हिन्दी में निष्पादित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जिसके अनुपालन एवं अनुवर्ती कार्यवाही हेतु **वार्षिक कार्यक्रम 2023–2024** की डिजिटल प्रति आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी **वार्षिक कार्यक्रम 2023–2024** एवं शिक्षा मंत्रालय के दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यालय के कामकाज़ में लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पूर्ण प्रयास करें।

अर्चना 3/5/23

(डॉ0 अर्चना ठाकुर)
संयुक्त सचिव (राजभाषा)

ई–मेल द्वारा:–

1. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव (सचिव महोदय), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव (वित्तीय सलाहकार), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव (वित्त), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव (प्रशासन), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
6. समस्त संयुक्त सचिव, प्रधान कार्यालय, 35 फिरोजशाह रोड़ कार्यालय, नेट कार्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
7. समस्त उपसचिव, प्रधान कार्यालय, 35 फिरोजशाह रोड़ कार्यालय, नेट कार्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
8. समस्त अपर सचिव, प्रधान कार्यालय, 35 फिरोजशाह रोड़ कार्यालय, नेट कार्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
9. समस्त शिक्षा अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी, प्रधान कार्यालय, 35 फिरोजशाह रोड़ कार्यालय, नेट कार्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
10. कुलसचिव, समस्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम
2023-24

ANNUAL PROGRAMME FOR TRANSACTING THE OFFICIAL WORK OF THE UNION IN HINDI
2023-24

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

राजभाषा विभाग

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

www.rajbhasha.gov.in

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्राक्कथन	1-6
2.	राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख दिशा-निर्देश	7-11
3.	हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम	12-14

प्राक्कथन

दिनांक 18 जनवरी, 1968 को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प में यह व्यक्त किया गया है किः-

"यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति को बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए गए उपायों एवं की गई प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।"

2. उक्त संकल्प के उपबंधों के अनुसरण में राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा हिंदी के प्रसार और प्रगामी प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम इसी क्रम में जारी किया जा रहा है। हिंदी बोले जाने और लिखे जाने के आधार पर देश के राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को तीन क्षेत्रों में चिह्नित किया गया है। इन तीनों क्षेत्रों यथा 'क','ख', और 'ग' का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्षेत्र	**क्षेत्र में शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**
'क'	बिहार, छत्तीसगढ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।
'ख'	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।
'ग'	'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र।

3. सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग उतरोत्तर बढ़ रहा है किंतु अभी भी काफी काम अंग्रेजी में हो रहा है। राजभाषा नीति का उद्देश्य है कि सरकारी कामकाज में सामान्यतः हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो। यही भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगा । कहने की आवश्यकता नहीं है कि जन साधारण की भाषा में सरकारी कामकाज करने से विकास की गति तेज होगी और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी।

4. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कुशल तथा प्रेरणादायक नेतृत्व में राजभाषा विभाग ने निम्नलिखित ई-लर्निंग कार्यकलापों की शुरुआत की हैः-

(क) राजभाषा विभाग के प्रशिक्षण संस्थान– केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ने आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्मों (ई-प्रशिक्षण) के माध्यम से भी हिंदी भाषा/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया है ।

(ख) राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों ने आवश्यकतानुसार डिजिटल प्लेटफार्मों (ई-निरीक्षण) के माध्यम से भी वर्चुअल निरीक्षण करना प्रारंभ कर दिया है ।

(ग) हिंदी कार्यशालाओं और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की बैठकों का आयोजन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधनों (ई-बैठक) के माध्यम से भी किया जा रहा है |

(घ) केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों की गृह पत्रिकाओं के सहज तथा सुलभ पठन के लिए राजभाषा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर ई-पत्रिका पुस्तकालय प्लेटफार्म की शुरुआत की गई है |

5. राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 14-15 सितंबर, 2022 को सूरत (गुजरात) में हिंदी दिवस एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया । माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, गृह राज्य मंत्री माननीय श्री अजय कुमार मिश्रा जी एवं गृह राज्य मंत्री माननीय श्री निशिथ प्रामाणिक जी के नेतृत्व में यह सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ । इस सम्मेलन में गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री तथा गुजरात के माननीय गृह मंत्री के साथ-साथ लोक सभा एवं राज्य सभा के माननीय संसद सदस्यों सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी भागीदारी की ।

6. वर्तमान युग में कोई भी भाषा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े बिना नहीं पनप सकती । यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार के कार्यालयों में कंप्यूटर, ई-मेल, वेबसाइट सहित सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाएं उपलब्ध होने से वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना और भी आसान हो गया है । राजभाषा विभाग निरंतर इस दिशा में काम कर रहा है । इसी क्रम में सूरत (गुजरात) में 14-15 सितंबर, 2022 को सम्पन्न हुए हिंदी दिवस और द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर माननीय गृह और सहकारिता मंत्री जी द्वारा 'हिन्दी शब्द सिंधु- एक बृहत् एवं समावेशी शब्दकोश तथा 'कंठस्थ 2.0 (अनुवाद टूल) का लोकार्पण किया गया ।

(i) '**हिन्दी शब्द सिंधु-** बृहत् शब्दकोश देश की अन्य भाषाओं से हिंदी को समृद्ध करने की दिशा में विकसित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विषयों– जनसंचार, आयुर्वेद, खेलकूद, अंतरिक्ष विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान, वैमानिकी, कंप्यूटर विज्ञान, इलैक्ट्रॉनिक्स, भू-गर्भशास्त्र, मानविकी आदि से संबंधित शब्दावली के साथ-साथ पारंपरिक शब्दावली को भी समाहित किया जा रहा है। इस शब्दकोश में शब्द की प्रविष्टि के साथ-साथ उसकी व्याकरणिक कोटि, अर्थ, पर्याय, आवश्यकतानुसार प्रयोग, विलोम, मुहावरे एवं तत्संबंधी अन्य आवश्यक जानकारियाँ दी गई है। यह शब्दकोश पूर्णतया डिजिटल तथा खोजपरक (सर्चेबल) है। यह एक ऐसा शब्दकोश होगा जो पूर्णतः अद्यतन और समावेशी होगा तथा इसमें हिंदी में प्रयुक्त होने वाले सभी शब्दों का अर्थ सहित संग्रह होगा। इस शब्दकोश में हिंदी और हिंदी क्षेत्र की बोलियों, उपभाषाओं और भाषाओं के शब्द, अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्द, मीडिया और न्यू मीडिया के शब्द, तकनीक और विज्ञान के शब्द तथा विधि एवं न्याय के शब्द भी शामिल किए जा रहे हैं । यह पूर्णतया डिजिटल वेब आधारित होगा तथा इसे केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा निर्धारित मानकीकृत वर्तनी के अनुसार तैयार किया जा रहा है। इसमें यूनिकोड फॉन्ट का उपयोग किया जा रहा है तथा इसमें हिंदी, अंग्रेजी में टंकण कर शब्द खोजने की सुविधा होगी ।

(ii) ''**कंठस्थ 2.0"** (अनुवाद सारथी) के इस अद्यतन संस्करण में तीन नई विशेषताएं शामिल की गई हैं जिससे यह अब बेहद उपयोगी सॉफ्टवेयर बन गया है। ये फीचर इस प्रकार हैं :-

न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन अर्थात मशीनी अनुवाद- इस सुविधा के अनुसार अब यह न केवल अपनी मेमोरी (जिसमें इस समय करीब 25 लाख वाक्य हैं) से अनुवाद देगा बल्कि मशीनी अनुवाद भी उपलब्ध कराएगा।

स्मार्ट चैटबोट- यह May I Help You की तरह है। इसमें नए प्रयोक्ता के लिए बहुत सारे प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दिए गए हैं। आप इन्हें एक प्रकार से "FAQs" या "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" कह सकते हैं। इनसे प्रयोक्ताओं को कंठस्थ का प्रयोग करने में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।

वॉयस टाइपिंग -अब इस सॉफ्टवेयर में टाइपिंग करने के लिए वॉयस टाइपिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। प्रयोक्ता बोलकर भी टाइप कर सकते हैं।

7. वार्षिक कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित बिंदु विशेष रूप से विचारणीय हैं:-

(i) राजभाषा के प्रचार एवं प्रसार के बारे में सरकार की नीति यह भी है कि सरकारी कामकाज में हिंदी को प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना से बढ़ाया जाए । लेकिन इसके साथ ही नियमों और आदेशों के अनुपालन में दृढ़ता बरती जानी चाहिए । इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के तहत केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित अनुपालन हो। यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी जानबूझकर राजभाषा के बारे में लागू प्रावधानों की अवहेलना करता है तो प्रकरण से संबंधित नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है ।

(ii) यह आवश्यक है कि संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के नौ खंडों पर जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों का केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा अनुपालन किया जाए।

(iii) संबंधित मंत्रालय/विभाग वैज्ञानिक व तकनीकी साहित्य हिंदी में छपवाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और उसे जनसाधारण के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक उपाय करें।

(iv) हिंदी भाषा, हिंदी टंकण/आशुलिपि के प्रशिक्षणों में न केवल तेजी लाई जाए बल्कि प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सभी कार्मिकों को हिंदी भाषा, हिंदी टंकण/आशुलिपि का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए प्रेरित एवं निर्देशित भी किया जाए ।

(v) राजभाषा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में केंद्र सरकार के कार्यालय नियमित रूप से अपने कर्मचारियों को नामित करें और नामित कर्मचारियों को निदेश दें कि वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें और पूरी तत्परता से प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा परीक्षाओं में बैठें । प्रशिक्षण को बीच में छोड़ने या परीक्षाओं में न बैठने वाले मामलों में कड़ाई बरती जाए।

(vi) केंद्र सरकार के कार्यालय केंद्रीय सेवाओं के अपने प्रशिक्षण संस्थानों में राजभाषा हिंदी में प्रशिक्षण की व्यवस्था उसी स्तर पर करें जिस स्तर पर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में कराई जाती है और अपने विषयों से संबंधित साहित्य का सृजन हिंदी में करवाएं ताकि प्रशिक्षण के बाद अधिकारी सरकारी कामकाज सुविधापूर्वक राजभाषा हिंदी में कर सकें। इस वार्षिक कार्यक्रम में ''क', 'ख' व 'ग' क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनिवार्यतः हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण दिए जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं । इस संबंध में अनुपालन हेतु संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है।

(vii) प्रत्येक तिमाही में कार्यशाला का आयोजन कर सभी कार्मिकों को राजभाषा नीति की जानकारी दी जाए जिससे वे अपने दायित्वों को अच्छी तरह निभा सकें।

(viii) केंद्र सरकार के कार्यालय अपने विषयों से संबंधित संगोष्ठियां हिंदी माध्यम में आयोजित करें।

(ix) यह सुनिश्चित किया जाए कि हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतने वाले अधिकारी/कर्मचारी अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करें |

(x) मंत्रालयों/विभागों के संबंधित अधिकारियों व वरिष्ठ अधिकारियों (उप सचिव/निदेशक/संयुक्त सचिव) द्वारा केंद्र सरकार के कार्यालयों का समय-समय पर राजभाषा संबंधी निरीक्षण राजभाषा अनुभाग के अधिकारियों के साथ किया जाए।

(xi) देश भर में कार्यरत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) हेतु राजभाषा विभाग द्वारा संयुक्त नराकास वेबसाइट (http//narakas.rajbhasha.gov.in) का निर्माण किया गया है। सभी नराकास इस वेबसाइट पर अपना नराकास संबंधी डाटा (सूचना) साझा करें। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का उद्देश्य केंद्र सरकार के देश भर में फैले कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक संयुक्त मंच प्रदान करना है। इस मंच पर नराकास के सदस्य हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए उनके द्वारा अपनाई गई उत्तम नीतियों के बारे में जानकारी पर विचार-विमर्श करके तथा उसका आदान-प्रदान करके अपनी उपलब्धियों के स्तर में सुधार ला सकते हैं। समिति की वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं। नगर विशेष में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के प्रशासनिक प्रमुखों द्वारा इस समिति की बैठकों में व्यक्तिगत तौर पर सहभागिता करना अपेक्षित है । राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के द्वारा प्रशासनिक प्रमुखों को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और इस संबंध में समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। राजभाषा विभाग (मुख्यालय)/ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के अधिकारी इन बैठकों में भाग लेते हैं। नराकास की बैठकों में विचारार्थ बिंदुओं की चैक लिस्ट नराकास के गठन के समय आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु उपलब्ध कराई जाती है।

(xii) देश के उन शहरों में नराकास के गठन के नियमानुसार प्रयास किए जाएं जहां अभी तक नराकास का गठन नहीं हुआ है |

(xiii) तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर राजभाषा विभाग को ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाए। इसी प्रकार, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून तक अवश्य उपलब्ध करा दी जाए । केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों से अपेक्षित है कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट व वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन ही भेजें । यह प्रणाली विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है ।

(xiv) मंत्रालय/विभाग अपने यहां हिंदी सलाहकार समितियों का गठन/पुनर्गठन कर उनकी बैठकें नियमित आधार पर करना सुनिश्चित करें । इन बैठकों में माननीय सदस्यों के विचारार्थ राजभाषा विभाग द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं की चैक लिस्ट को ध्यान में रखा जाए। यह चैक लिस्ट राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है । इन बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

(xv) केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में भी अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराया जाए । जब अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं तो विज्ञापन के अंत में यह अवश्य उल्लेख कर दिया जाए कि अधिसूचना/विज्ञापन/रिक्ति संबंधी परिपत्र का हिंदी रूपांतर वेबसाइट पर उपलब्ध है । इस जानकारी संबंधी पूरा लिंक भी दिया जाए ।

(xvi) केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड की सुविधा हो ताकि उन पर हिंदी में काम किया जा सके।

(xvii) यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अनुवाद कार्य से जुड़े सभी अधिकारी/कर्मचारी राजभाषा विभाग द्वारा विकसित कराए गए 'कंठस्थ' सॉफ्टवेयर/टूल का अधिक से अधिक उपयोग करें तथा बार-बार किए जाने वाले कार्यों को इसमें फीड करें |

(xviii) शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय हिंदी संस्थान और सी-डैक, पुणे के सहयोग से 'लीला राजभाषा' और 'लीला प्रवाह' को उन्नत करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं । हिंदीतर भाषा-भाषी लोगों द्वारा इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए |

(xix) विदेशों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है । अभी वर्तमान में पांच देशों:- मॉरीशस (पोर्ट लुई), संयुक्त अरब अमीरात (दुबई), यूनाइटेड किंगडम (लंदन), फिजी तथा सिंगापुर में नराकास गठित हैं ।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि सभी केंद्रीय मंत्रालय/विभाग, कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एवं केंद्रीय उपक्रम आदि राजभाषा प्रयोग संबंधी संवैधानिक और सांविधिक दायित्वों के अनुरूप अपने दैनिक काम-काज में हिंदी पर अधिकाधिक बल देंगे और वर्ष 2023-24 के वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में स्वैच्छिक प्रयास करेंगे।

(अजय कुमार मिश्रा)
गृह राज्य मंत्री
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

मार्च, 2023

राजभाषा नीति संबंधी प्रमुख निदेश

1. राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद के किसी सदन या दोनों सदनों के समक्ष रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें व सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञापत्र, निविदा सूचनाएं और निविदा प्रपत्र द्विभाषिक रूप में, अंग्रेजी और हिंदी, दोनों में जारी किए जाएं । राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अंतर्गत ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार, निष्पादित अथवा जारी किए जाएं ।

2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है।

3. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत कार्मिकों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं। इसके अंतर्गत अधिसूचित बैंकों की शाखाओं में निम्नलिखित कार्य हिंदी में किए जाएं:-

"ग्राहकों द्वारा हिंदी में भरे गए आवेदनों और अंग्रेजी में भरे गए आवेदनों पर ग्राहकों की सहमति से जारी किए जाने वाले मांग ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सभी प्रकार की सूचियां, विवरणियां, सावधि जमा रसीदें, चैक बुक संबंधी पत्रादि, दैनिक बही, मस्टररोल, प्रेषण बही, पास बुक, लॉग बुक में प्रविष्टियां, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, सुरक्षा एवं ग्राहक सेवा संबंधी कार्य, नये खाते खोलना, लिफाफों पर पते लिखना, कर्मचारियों के यात्रा भत्ते, अवकाश, भविष्य निधि, आवास निर्माण अग्रिम, चिकित्सा संबंधी कार्य, बैठकों की कार्यसूची, कार्यवृत्त आदि ।"

4. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अनुसार केंद्र सरकार, ऐसे अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को टिप्पण, प्रारुपण और अन्य उन शासकीय कार्यों को केवल हिंदी में करने के लिए आदेश जारी कर सकती है, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट हों ।

5. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी । तदनुसार, केंद्र सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा है कि वे सभी मैनुअल, संहिताएं एवं प्रक्रिया संबंधी असांविधिक साहित्य से संबंधित अन्य प्रक्रियात्मक साहित्य अनुवाद के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में भेजें।

6. राजभाषा नियम,1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली के प्रावधानों तथा इनके अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो तथा इस प्रयोजन से उपयुक्त एवं प्रभावकारी जांच बिंदु बनाए जाएं ।

7. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक के कार्यवृत्त में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए सुझावों पर पुन: बल दिया है | ये सुझाव हैं :- सरकारी हिंदी और सामाजिक हिंदी के अंतर को कम करना, देश की दूसरी भाषाओं से हिंदी को और समृद्ध करने के लिए उपाय करना, दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्दों को हिंदी में ग्रहण करना, दूसरी भारतीय भाषाओं से अच्छे शब्दों को खोजकर हिंदी भाषा में जोड़ना, हिंदी में अनुवाद सरल भाषा में सुनिश्चित करना जिससे सरकारी भाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में बाधक नहीं, सहायक हो |

8. राजभाषा विभाग ने भारत सरकार के सभी सचिवों/विभिन्न सरकारी संगठनों के प्रमुखों से आग्रह किया है कि जब वे प्रत्येक माह वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करें तो वे उनमें हिंदी में सरकारी काम-काज में हुई प्रगति की भी समीक्षा करें और अपने संगठन में राजभाषा अधिनियम तथा नियमों के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करें | साथ ही, संयुक्त सचिव (प्रशासन)/संगठन के प्रशासनिक प्रमुख को हिंदी कार्यान्वयन का तथा वर्ष की प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाए |

9. कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा का संवर्ग गठित होना चाहिए, जो कि कुल पदों के अनुरूप हो । मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों के हिंदी पदाधिकारियों को केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के समान वेतनमान व पदनाम दिए जाएं ।

10. अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को छोड़कर शेष विषयों के प्रश्न-पत्रों के उत्तर हिंदी में भी देने की छूट दी जाए और ऐसे प्रश्न-पत्र द्विभाषी रूप से, हिंदी तथा अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराए जाएं। साक्षात्कार या मौखिक परीक्षा में उम्मीदवारों को हिंदी में उत्तर देने की छूट दी जाए।

11. केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा सभी सेवाकालीन, विभागीय तथा पदोन्नति परीक्षाओं (अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाओं सहित) में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में देने का विकल्प दिया जाए। प्रश्न पत्र अनिवार्यतः दोनों भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी, में तैयार कराए जाएं। जहां साक्षात्कार लिया जाना हो, वहां अभ्यर्थियों को पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हिंदी में देने की अनुमति दी जाए।

12. सभी प्रकार की वैज्ञानिक/तकनीकी संगोष्ठियों तथा परिचर्चाओं आदि में वैज्ञानिकों आदि को राजभाषा हिंदी में शोध पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाए। उक्त शोध पत्र संबंधित मंत्रालय/विभाग और कार्यालय आदि के मुख्य विषय से संबंधित हों।

13. केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि हिंदी संगोष्ठियों का आयोजन करें ।

14. 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में सभी प्रकार का प्रशिक्षण, चाहे वह अल्पावधि का हो अथवा दीर्घावधि का, सामान्यत: हिंदी माध्यम से हो । 'ग' क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षणार्थी की मांग के अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में उपलब्ध कराई जाए।

15. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा कोई भी गैर सरकारी संस्था केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राजभाषा का प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत नहीं की गई है। राजभाषा विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र पहले से ही देश भर में काम कर रहे हैं जो केंद्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण निःशुल्क देते हैं एवं राजभाषा पर विचार-विमर्श के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं । राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों द्वारा संबंधित कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर 'लीला' राजभाषा के माध्यम से अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ऑनलाइन दिए जाने की सुविधा उपलब्ध है । अतः गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जा रहे राजभाषा के प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए सरकारी कोष से अनावश्यक धन खर्च करना उचित नहीं है।

16. विभिन्न कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यशाला की न्यूनतम अवधि एक कार्य दिवस की होगी। कार्यशाला में न्यूनतम दो तिहाई समय कार्यालय से संबंधित विषयों पर हिंदी में कार्य करने का अभ्यास करवाने में लगाया जाए ।

17. केंद्र सरकार के कार्यालयों की मांग पर केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हिंदी भाषा, हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि का प्रशिक्षण दिया जाता है ।

18. केंद्र सरकार के कार्यालयों में जब तक हिंदी टंककों व हिंदी आशुलिपिकों से संबंधित निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिए जाते, तब तक उनमें केवल हिंदी टंकक व हिंदी आशुलिपिक ही भर्ती किए जाएं।

19. अनुवाद कार्य तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अनिवार्य अनुवाद प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाए। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को भी अनुवाद के प्रशिक्षण के लिए नामित किया जा सकता है, जिन्हें स्नातक स्तर पर हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान हो तथा जिनकी सेवाओं का उपयोग कार्यालय द्वारा अनुवाद कार्य के लिए किया जा सकता है ।

20. अनुवादकों को, मानक शब्दकोश (अंग्रेजी-हिंदी व हिंदी-अंग्रेजी) तथा अन्य तकनीकी शब्दावलियों के रूप में सहायक सामग्री उपलब्ध कराई जाए ।

21. भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में प्रशिक्षण के दौरान हिंदी भाषा का प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से दिया जाता है ताकि सरकारी कामकाज में वे इसका प्रयोग कर सकें । तथापि, अधिकांश अधिकारी सेवा में आने के पश्चात सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग नहीं करते । इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों में सही संदेश नहीं जाता। परिणामस्वरूप, सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग अपेक्षित मात्रा में नहीं हो पाता। केंद्र सरकार के कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि वे सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें । इससे उनके अधीन कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरणा मिलेगी तथा राजभाषा नीति के अनुपालन में गति आएगी ।

22. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भी व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक अधिकारी/कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो ।

23. केंद्र सरकार के सभी कार्यालय अपने दायित्वों से संबंधित विषयों से संबधित शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

24. केंद्र सरकार के कार्यालय अपने कार्यालय में हिंदी में कार्य का माहौल तैयार करने के लिए हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं । इन पत्रिकाओं में कार्यालय की सामान्य गतिविधियों तथा उस कार्यालय के कामकाज से संबंधित मौलिक आलेख प्रकाशित किए जाएं । साथ ही राजभाषा नीति के प्रमुख प्रावधानों का भी उल्लेख अवश्य हो । केंद्र सरकार के कार्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन पत्रिकाओं के ई-वर्जन तैयार करें और इन्हें राजभाषा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्लेटफॉर्म "ई-पत्रिका पुस्तकालय" पर अपलोड करें ताकि गृह-पत्रिकाएं पाठकों को सहज तरीके से प्राप्त हो सकें ।

25. यह देखा गया है कि अनेक विभागों द्वारा वेबसाइट पर या तो सूचना हिंदी में नहीं दी जाती या कुछ मामलों में यह पूर्णतया हिंदी में उपलब्ध नहीं है । अतः वेबसाइट हिंदी में विकसित और नियमित रूप सेअद्यतित करवाएं।

26. राजभाषा विभाग द्वारा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से हर वर्ष कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के लिए 5 दिवसीय बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता है । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिक से अधिक अधिकारियों/ कर्मचारियों को नामित करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद प्रशिक्षु कंप्यूटर पर हिंदी में काम कर सकेंगे। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की वेबसाइट www.chti.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

27. राजभाषा विभाग द्वारा आधुनिक ज्ञान / विज्ञान की विभिन्न विधाओं में मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने एवं राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "राजभाषा गौरव पुरस्कार" दिए जाते हैं । राजभाषा के प्रयोग में बेहतर प्रगति दर्ज करने वाले मंत्रालय/विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बोर्ड/ स्वायत्त निकाय/ ट्रस्ट आदि, राष्ट्रीयकृत बैंक तथा हिंदी गृह पत्रिकाओं के लिए "राजभाषा कीर्ति पुरस्कार" राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाते हैं । इन दोनों पुरस्कार योजनाओं की जानकारी राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है ।

28. राजभाषा विभाग ने अपनी वेबसाइट पर विभिन्न संस्थाओं के लिंक उपलब्ध कराए हैं जिनके माध्यम से इन संस्थाओं की शब्दावली देखी जा सकती है । इस संबंध में यदि कार्यालयों द्वारा कोई अपनी शब्दावली तैयार की गई है तो वे उसे राजभाषा विभाग से साझा करें ताकि अन्य कार्यालय भी लाभान्वित हो सकें।

29. राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर "ई- सरल हिंदी वाक्यकोश" शीर्षक के अंतर्गत सामान्यत: अंग्रेजी में प्रयोग होने वाले वाक्यों के हिंदी अनुवाद दिए गए हैं जिनके प्रयोग से अधिकारी फाइलों पर सामान्य टिप्पणियां आसानी से हिंदी में लिख सकते हैं।

30. अंतरराष्ट्रीय संधियों और करारों को अनिवार्य रूप से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराया जाए। विदेशों में निष्पादित संधियों और करारों के प्रामाणिक अनुवाद तैयार कराकर रिकॉर्ड के लिए फाइल में रखे जाएं।

31. हिंदीतर राज्यों में बोर्ड, साइन बोर्ड, नामपट्ट तथा दिशा संकेतकों के लिए क्षेत्रीय भाषा, हिंदी तथा अंग्रेजी, इसी क्रम में, प्रयोग की जानी चाहिए ।

32. प्रशिक्षण और कार्यशालाओं सहित राजभाषा हिंदी संबंधी कार्य कर रहे अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में बैठने के लिए अच्छा व समुचित स्थान एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वाह ठीक तरह से कर सकें ।

33. हमें अपने कार्य-व्यवहार में आम जीवन में प्रचलित शब्दों के प्रयोग पर बल देना चाहिए ताकि सामान्य नागरिक सरकारी नीतियों/ कार्यक्रमों के बारे में सरल हिंदी में जानकारी प्राप्त कर सकें ।

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2023-24 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को **100%** 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को **100%** 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को **65%** 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति **100%**	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को **90%** 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को **90%** 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को **55%** 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति **90%**	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को **55%** 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को **55%** 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को **55%** 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति **55%**
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुलअनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	100%	100%

11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	**100%**	**100%**	**100%**
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं ।	**100%**	**100%**	**100%**
13.	(**i**) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	**25%** (न्यूनतम)	**25%** (न्यूनतम)	**25%** (न्यूनतम)
	(**ii**) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	**25%** (न्यूनतम)	**25%** (न्यूनतम)	**25%** (न्यूनतम)
	(**iii**) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
	(क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	**100%**	**100%**	**100%**
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/ उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों ।	**40%**	**30%**	**20%**
			(न्यूनतम अनुभाग) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए ।	

विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों के लिए कार्यक्रम

(क) हिंदी में पत्राचार (भारत/विदेश में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ)	50%
(ख) फाइलों पर हिंदी में टिप्पण	50%
(ग) वर्ष के दौरान नराकास की बैठकों की संख्या (नराकास का गठन किसी नगर में केंद्र सरकार के 7 या इससे अधिक कार्यालय होने की स्थिति में किया जाए)	प्रत्येक वर्ष में एक बैठक
(घ) वर्ष के दौरान विराकास (विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति) की बैठकों की संख्या (विराकास का गठन कार्यालय-अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया जाए)	प्रत्येक तिमाही में एक बैठक
(ड.) कंप्यूटरों सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी उपलब्धता	100%
(च) हिंदी टंकण कार्य करने वाले कर्मचारी/आशुलिपिक	प्रत्येक कार्यालय में कम से कम एक
(छ) दुभाषियों की व्यवस्था	प्रत्येक मिशन/दूतावास में स्थानीय भाषा से हिंदी में और हिंदी से स्थानीय भाषा में अनुवाद के लिए दुभाषियों की व्यवस्था की जाए ।